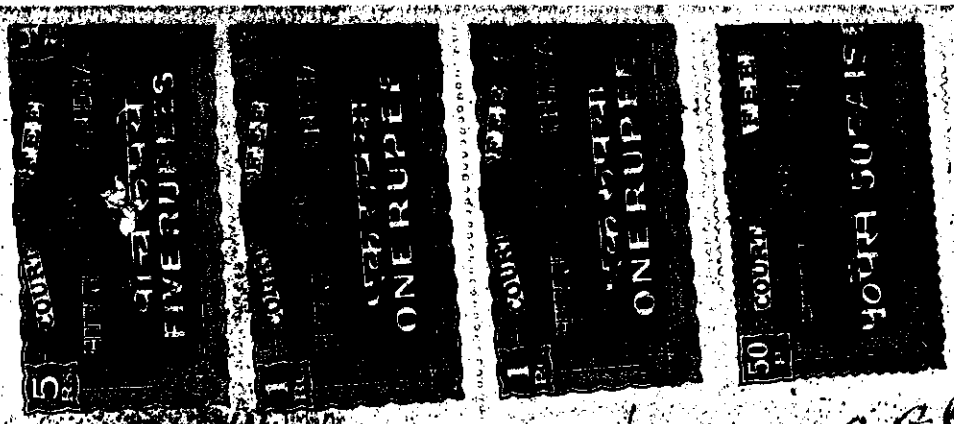

FIVE RUPEES | ONE RUPEE | ONE RUPEE | FIFTY PAISE

(213)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १६५ अपील A. M/P 33/95

सुरेन्द्र पुत्र हरविलास जाति तेली
निवासी ग्राम चौम्हों, तहसील अटेर,
जिला भिण्ड, म०प्र० -- अपी०

विरुद्ध

१। राजेन्द्रनाथ उर्फ सन्तोष पुत्र
कालीचरन, निवासी तरसोखर,
तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म०प्र०

२। म०प्र० शासन

क्रमांक ......
श्री ...... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक (17.1.95)
को प्रस्तुत 17.1.95
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक ३१-१-९४ अन्तर्गत धारा ३५ म०प्र० भू राजस्व संहिता। प्रकरण क्रमांक २०।९३-९४ विविध।

२६/१/९५

श्रीमान,

अपील का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि पुनर्स्थापन के संबंध में अपर आयुक्त महोदय ने अत्यन्त कठोर रुख अपनाया है।

(३) यहकि पुनर्स्थापन हेतु जो आधार प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में बताये थे उन पर समुचित विचार नहीं हुआ।

(४) यहकि नियत दिनांक को प्रकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था।

(५) यहकि जब नियत दिनांक १३-८-९३ को प्रकरण पत्रिका ही उपलब्ध न थी और प्रार्थी को २६-१०-९३ आगामी पेशी बताई गई थी तब प्रकरण में विलम्ब का कोई

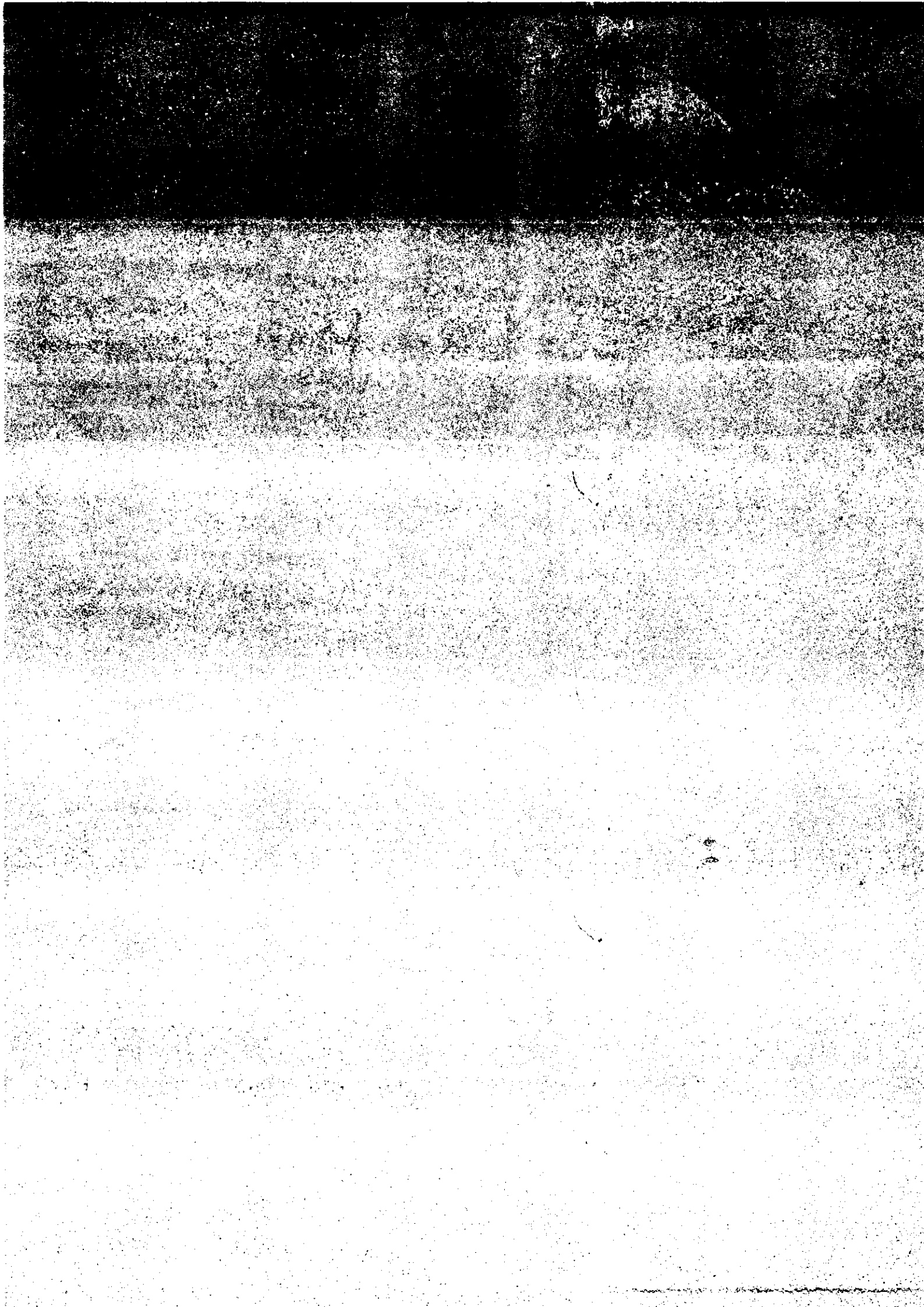

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – ए/4–1/आर/39/95 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 20/93–94/विविध में पारित आदेश दिनांक 31–1–94के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी प्र0क0 5/89–89 को नियत दिनांक 13–8793 को अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित रहने से अदम पैरवी में निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्याालय में पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया गया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त के न्यायालय में उनके अभि. नियुक्त थे और अपीलार्थी अधिवक्ता के भरोसे ही था । अधिवक्ता की त्रुटि के लिए पक्षकार को दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है । विलंब के संबंध में न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।	

ए./4-1/आर/39/91 (निग)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 13--8--93 की आदेश पत्रिका के कॉलम नं. 3 में गैर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर हैं । निगरानी दिनांक 13--8--93 को अदम पैरवी में निरस्त हुई है जबक उसके पुर्नस्थापन का आदेश दिनांक 3--12--93 को दिया गया है । अपर आयुक्त ने आवेदन में बताए गए कारणों की पुष्टि अभिलेख से न होने तथा पुर्नस्थापन का आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने ैर विलंब के संबंध में कोई कारण नहीं दिये जाने से निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में त्रुटि अधिवक्ता की वजह से हुई है इस संबंध में अधिवक्ता का कोई शपथपत्र नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।	
	परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।	
	सदस्य	